न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 355 / 18 निर्णय दिनांकः– 21–01–2020
(आरसीएमएस सख्या 2018 / 00528)

1. नारायणराम पुत्र नत्थूराम जाति कुम्हार निवासी सुरधड़ा तहसील व जिला बीकानेर

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 18–06–2010
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितः–
1. श्री नारायणदास खत्री, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 18–06–2010 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन आवेदन निरस्त किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 06 पीएसएम के मुरब्बा नम्बर 60 / 52 की भूमि आवंटन किये जाने हेतु श्रीमान् सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर लम्बे समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 18–06–2010 को अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना सरासर एकतरफा तौर पर अपीलांट का विशेष आवंटन आवेदन को निरस्त कर दिया जो कानून एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि पूर्व से ही भूमिहीन में आवंटित है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जबकि वादग्रस्त भूमि आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज भूमि है। अदालत मातहत द्वारा तथ्यों की जॉच किये बिना आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अतः अपीलाधीन आदेश आवंटन नियमों के विपरीत होने से व कानून एवं विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

पत्रावली में अपीलांट को नोटिस जारी करने का आदेश नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है, सद्भावी काश्तकार है व बीकानेर, राजस्थान का मूल निवासी है। अपीलांट भूमि आवंटन की पात्रता रखता है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट का आवेदन निरस्त किया गया है जो कानून व विधि के विरूद्व है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–06–2010 के विरूद्व अपील दिनांक 26–09–18 को पेश की है। जो करीब 08 वर्ष से अधिक विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि पूर्व से ही अन्य को आवंटित है। अतः आवेदन खारिज किया जाता है। जब अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि पूर्व से अन्य को आवंटित है तो ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–06–2010 के विरूद्व अपील दिनांक 26–09–2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट एक ग्रामीण परिवेश का

काश्तकार व्यक्ति है। जिससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखें। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा दिनांक 15–09–2007 को सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ के समक्ष विशेष आवंटन के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजात् भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 18–06–2010 को अपीलांट का प्रार्थना इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि पूर्व से ही अन्य व्यक्ति को बतौर भूमिहीन आवंटित होने के कारण आवेदन खारिज किया जाता है।

इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष चक 06 पीएसएम के मुरब्बा नम्बर 60/52 के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर आगामी दो वर्षो तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। तत्पश्चात् अपीलांट के आवेदन पत्र पर तहसीलदार या उपखण्ड कार्यालय स्तर पर अपीलांट के आवेदन पत्र पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी प्राप्त किये बिना अचानक दिनांक 18–06–2010 को प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि अन्य को आवंटित बताकर आवेदन खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को किसी प्रकार की सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश एकतरफा, मनमाना व अविवेकपूर्ण आदेश है। जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 18–06–2010 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21–01–2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोनकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.03 10:43:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: